



झारखंड सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

Duplicate-copy CRSLP915739

8/21/2019



नामांतरण शुद्धि-पत्र

जिला का नाम	धनबाद	अनुमंडल नाम	धनबाद	अंचल का नाम	धनबाद	हल्का	हल्का-02						
इस्टेट का नाम	झारखण्ड	भाग	29	पृष्ठ संख्या वर्तमान	5	थाना न.	6						
वर्तमान(VOL)													
क्रमिक संख्या	केस न.	मौजा का नाम/ राजस्व थाना न.	थाना का नाम	स्वीकृत द्वारा और तिथि	परिवर्तन प्रकार	अभिधृत जिसमें नामांतरण संबंधित है			कारोबार विस्तृत सूचना			रजिस्टर 2 अद्यतन तिथि अभ्युक्ति	
						खाता न.	भाग वर्तमान	पृष्ठ संख्या वर्तमान	खाता न.	प्लॉट न.	क्षेत्रफल		लगान
5739	642 /R27 2019 - 2020	धैया/ 6	झरिया	13/08/2019	By Sale Registration Deed 1308 Dated 02/03/2019	55	20	4431	55	73	3.3 डिसमील	4	
क्रेता का नाम : (MUNNI DEVI पति-SURENDRA PRASAD MODI, जाति- बनीया, पता-CHANDMARI COALIERY DHANSAR DHANBAD)						विक्रेता का नाम : MADAN MOHAN MANDAL, पिता-LATE RATAN MANDAL, जाति-सुड़ी, पत्ता-DHAIYA KUMHAR TOLA ISM DHANBAD वॉ ANIL KUMAR MANDAL, पिता-LATE BUTAN MANDAL, जाति-सुड़ी, पत्ता-DHAIYA KUMHAR TOLA ISM DHANBAD वॉ ANU MANDAL, पति-LATE SATISH CHANDA MANDAL, जाति-सुड़ी, पत्ता-DHAIYA KUMHAR TOLA ISM DHANBAD							
राजस्व कर्मचारी हल्का-02 को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनाथ हस्तान्तरित। यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है						Signature valid Digitally signed by PRASANT KUMAR LAYAK							

Duplicate Copy  
21-Aug-2019

## आदेश

तिथि

Aug 13 2019

आदेश पर की

गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा धैया थाना झरिया

खाता	प्लॉट	रकबा
55	73	0 एकड़, 3.3 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
MADAN MOHAN MANDAL	पिता	LATE RATAN MANDAL
ANIL KUMAR MANDAL	पिता	LATE BUTAN MANDAL
ANU MANDAL	पति	LATE SATISH CHANDA MANDAL

हैं जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 1308 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
श्री सतिष चन्द्र मंडल वो0	पिता	उपेन्द्र नाथ मंडल
मदन मोहन मंडल	पिता	मृ0 रतन मंडल

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

राजस्व कर्मचारी एबम अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार दाखिल खारिज आबेदन को स्वीकृत हेतु अनुशंसा किया गया है अंत दाखिल खारिज आबेदन को स्वीकृत किया जाता है

अतः वार्षिक लगान **4रुपये**

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

स्वीकृत

किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :  
PRASANT KUMAR LAYAK

अंचलाधिकारी धनबाद